

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/6670 /

जबलपुर, दिनांक 14/09/2023

मो. साबिर, तत्कालीन नवगठित सेवा के सदस्य (चौकीदार), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को कर्त्तव्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने तथा उक्त संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत न करने के फलस्वरूप दिनांक 13.04.2023 से 25.05.2023 तक 43 दिन को अवैतनिक किया जाता है।

माननीय रजिस्ट्रार जनरल
महोदय के आदेशानुसार


सही / -
(विकास चन्द्र मिश्रा)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक B/6671 /

जबलपुर, दिनांक 14/09/2023

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. सहायक वेतन पत्रक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को इस निर्देश के साथ की किये गये अधिक वेतन भुगतान की नियमानुसार वसूली संबंधी कार्यवाही करें,
4. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. मो. साबिर, तत्कालीन नवगठित सेवा के सदस्य (चौकीदार), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(विकास चन्द्र मिश्रा)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)